राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

पत्रांक – IDSP/2020/416 दिनांक– 16/04/2020

जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय – COVID-19 से सम्भावित जोखिम वाले Housing Personnel के लिए क्वारंटीन सेन्टर की स्थापना के सम्बंध में

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिये इससे प्रभावित संदिग्ध लोगों के लिए क्वारंटीन सेन्टरों की स्थापना का निर्णय लिया गया है एवं पूर्व में पत्र दिनांक 18.03.2020 एवं 22.03.2020 द्वारा इस हेतु सभी जिलों में लगभग 2000–7000 व्यक्तियों के लिये क्वांरटीन सुविधा की व्यवस्था हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। ऐसी सुविधाओं की स्थापना हेतु निम्नलिखित निर्देशों को पूरा किया जाना है–

- यह क्वारंटीन सुविधा, शहर के रिहायशी क्षेत्रों से यथा सभंव दूर स्थित होना चाहिए।
- सिक्योरिटी तथा सीसीटीवी के द्वारा इस सुविधा की निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ऐसे क्वारंटीन सेन्टरों में प्राथमिकता के साथ व्यक्तिगत कमरों की व्यवस्था हो और अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- सेन्टर के स्थापना की योजना के समय प्रशासनिक युनिट, क्लीनिकल परीक्षण/मेडिकल स्टेशन, खान–पान सुविधा, लॉन्ड्री सेवा, आवश्यकता के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थान होना चाहिए। बेडशीट को नियमित रुप से बदलने की व्यवस्था होनी चाहिये।
- क्वारंटीन सेन्टर को नियमित रुप से सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्युशन (1 प्रतिशत) द्वारा असंक्रमित किया जावेगा।
- क्वारंटिन सेन्टर के कार्मिको को COVID-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण गतिविधियां जिसमें पीपीई किट, मास्क, दस्ताने आदि के विषय पर आमुखीकरण किया जाना चाहिए।
- क्वारंटीन सेन्टरों के प्रबंधन की वित्तीय आवश्यकता के लिए, जिला कलक्टर, राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के तहत व्यवस्था करेंगे।

<u>Institutional Quarantine की समयावधि</u> –

किसी भी संदिग्ध केस की क्वारंटीन की समयावधि 14 दिन की है। क्वारंटीन सेन्टरों में रखे गये ऐसे व्यक्तियों का 13वें दिन COVID-19 की जांच हेतु नमूना लिया जायेगा। यदि लैब परीक्षण में जांच रिपोर्ट Negative आती है तो उन्हे 14 दिन का समय पूरा होने पर डिस्चार्ज कर दिया